

न्यायालय उप जिला कलेक्टर

फर्द अहकाम

दिनांक	फर्द अहकाम
13/7/2024	<p>पत्रावली आज जमरल तारीख केसी के प्राप हुई परिवारीगत अधिवक्ता उपवादी अधिवक्ता कार-2 कावाज दिलाने के उपरान्त भी उपस्थित नहीं हुए। इसलिए परिवारीगत अधिवक्ता ने प्रकरण अदम हाजरी अदम परनी में खारिज करने का निवेदन किया।</p> <p>कार: मुकदमा नं० 111/2017 उतवानी दावा- अजीराग 4/5 महेनु कर्गठ दावा वावल इतकरा एक खातेदारी एवं स्थायी निवेदाज्ञा अदम हाजरी अदम परनी में खारिज किया जाता है।</p> <p>पत्रावली फंसल कुमा लोक वाड तफ्तील नम्बर से काम की जाकर डाखिल इफ्तल हो।</p> <p>कारदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।</p>

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी

